मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 6513–5जी0 स0 I-77/30195 दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की प्रति ।

विषय :––स्थानान्तरण नीति में परिवर्तन ।

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 5218-5 जी0 एस0 I-77/22427, दिनांक 12 अगस्त, 1977 की ओर दिलाऊं और सूचित करूं कि सरकार ने मामले पर पुनः विचार करके यह निर्णय लिया है कि सभी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थान्तरण 31 मार्च 1978 तक स्थगित कर दिए जाएं । यदि प्रशासकीय हित में कोई स्थानान्तरण करना अनिवार्य हो तो उसके लिए मुख्य मन्त्री महोदय की पूर्ण अनुमति प्राप्त की जाएं ।

2. कृपया उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालन की जाए।

भवदीय,

हस्त/-

उप सचिव सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।